...को पेश हो ... विभाजन प्रस्ताव

15-03-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। TDR चूरू से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल रहे। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुनाया। वकील वादी ने TDR चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधि... चूरू

दिनांक... ...को पेश हो।

पर अपनी सहमति देते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा में अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। TDR चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06-07-10 एवं माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 11-02-2019 के अनुरूप भिजवाये गये हैं तथा इस पर वकील वादी की सहमति है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी करने योग्य है। अतः तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादग्रस्त कृषि भूमि ख०नं० 255 तादादी 13.1902 हैक्टेयर एवं ख०नं० 310 तादादी 0.6577 हैक्टेयर रोही ग्राम गाजसर में से वादीगण ~~एवं~~ प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाकर डिक्री अनुसार वादीगण का अलग खाता व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक् से जारी होकर संलग्न मिसल रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू